

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2754/2026

Mahiram S/o Ladu Ram, Aged About 30 Years, Resident Of
Matlawra Ki Dhani, Bala, Police Station- Bilara, Jodhpur (Rural),
Rajasthan. (At Present Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Doularam S/o Babu Lal, Resident Of Hamir Nagar Finch,
Ps Luni, Jodhpur, Luni, Jodhpur City West, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Ramniwas Choudhary

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.
Mr. Pravesh Kumar Rawla for
Complainant

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	Arguments Concluded On:	19.03.2026
2.	Judgment Reserved On:	19.03.2026
3.	Full Judgment/Operative Part Pronounced:	Full Judgment
4.	Pronounced On:	27.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना भगत की कोठी जिला जोधपुर सिटी पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 140(3), 115(2), 109(1), 303(2), 127(2), 119(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। परिवादी दौलाराम ने घटना की रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी/अभियुक्त महीराम सहित 7 अन्य सहअभियुक्तगण, क्रेटा व स्विफ्ट गाड़ियों में अलग अलग आए और दिनांक

23.01.2026 को उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और उन्होंने परिवादी दौलाराम से 5 करोड़ की फिरोती की मांग की तथा नही देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने परिवादी दौलाराम के गले में पहनी हुई सोने की चैन जबरदस्ती छीन ली तथा परिवादी दौलाराम के साथ लोहे के सरिए व हथौड़े से मारपीट की। परिवादी दौलाराम ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 23.01.2026 को उसके विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया जाना बताया है, जबकि दिनांक 23.01.2026 को बरवक्त दुर्घटना प्रार्थी/अभियुक्त मौके पर नहीं था वरन् दिनांक 23.01.2026 को वह बैंगलोर में था और दिनांक 24.01.2026 को जरिए हवाई यात्रा (फ्लाईट) से जोधपुर आया था। वक्त घटना प्रार्थी/अभियुक्त घटनास्थल से करीबन हजारों किलोमीटर की दूरी पर था। दिनांक 24.01.2026 को कोई घटना घटित हुई हो इस तथ्य को घटना की रिपोर्ट में परिवादी दौलाराम ने नहीं कहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य किसी भी माध्यम से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य किया हो। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने, गवाहों को डराने या धमकाने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी को पिस्तौल का भय दिखाकर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसका अपहरण कर ले जाने, विभिन्न स्थानों पर बंधक रखने, नग्न कर वीडियो बनाने, सोने की चैन एवं अंगुठियां छीन लेने और परिवादी के साथ मारपीट करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 23.01.2026 की होना बताया गया है। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का हवाई यात्रा का टिकट और बोर्डिंग पास दिखाया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 को बेंगलोर में था। दिनांक 24.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त हवाई यात्रा से जोधपुर आया था। प्रकरण में फर्द जब्ती में एक सोने जैसे धातु की चैन व मोबाइल सहअभियुक्त राजेन्द्र की धारा 23(2) बीएसए की सूचना के आधार पर जब्त हुए हैं। उसके मोबाइल में जो 3 वीडियो मिले हैं, उसके प्रथम वीडियो में 23 जनवरी 2026 को 10.03 पीएम पर और दूसरा व तीसरा वीडियो 24 जनवरी, 2026 को 01.20 पीएम पर जो वीडियो दर्शित किए गए हैं, उन दोनों वीडियो में प्रार्थी/अभियुक्त महीराम द्वारा कोई आरोपित कृत्य किया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण में घटना के सीसीटीवी कैमरों के पुलिस द्वारा जो फुटेज प्राप्त किए गए हैं, उसमें दिनांक 23.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त महीराम ने कोई घटना घटित की हो ऐसा नहीं दिखाया गया है। दिनांक 24.01.2026 को जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो आया है, उसमें पीड़ित के सिर में राजेन्द्र द्वारा मारना बताया गया है। अन्य व्यक्तियों में से महीराम द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया गया है। वीडियो में प्रार्थी/अभियुक्त महीराम ही था, इस संबंध में कोई शिनाख्तगी अन्वेषण अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई है। दिनांक 24.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त महीराम द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, इससे संबंधित कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। दिनांक 23.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त बेंगलोर में नहीं होकर घटनास्थल पर हो इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज या उसके मोबाइल लोकेशन या अन्य कोई तथ्य अनुसंधान के दौरान सामने नहीं आए हैं। आहत दौलाराम के एक चोट गंभीर प्रकृति की तथा अन्य चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। उक्त गंभीर चोट या साधारण प्रकृति की चोटें विनिर्दिष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त

महीराम ने कारित की हो ऐसा तथ्य इस स्तर पर स्पष्ट नहीं होता है। चिकित्सक ने दौलाराम के शरीर पर आई चोटों को प्राणघातक नहीं बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने बताए गए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित Prabhakar Tewari vs The State Of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 आदेश दिनांक 24.01.2020 में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने मात्र से प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत अस्वीकार नहीं की जा सकती है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महीराम पुत्र लादुराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश में दिया गया कोई भी मत विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुणों पर पारित निर्णय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J